



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271843
CG-DL-E-16042026-271843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1844]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948

No. 1844]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1913(अ).—जबकि मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1101A-1107, 11वीं मंजिल, बीपीटीपी पार्क सेंद्रा, जल वायु विहार, सेक्टर-30, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत - 122018 पर स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम, "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/95/2025-PG दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर में सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड को उसके प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु, ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द्री इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) दिनांक 28 अक्टूबर 2025 तथा दैनिक युगपक्ष (हिंदी) दिनांक 28 अक्टूबर 2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांक 18 फरवरी 2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर तीन (3) अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त हुई थीं और मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसका उत्तर दिया गया है और आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 14.01.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान एवं गुजरात के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड सौर ऊर्जा परियोजना - बीकानेर-IV (आई.एस.टी.एस) पूर्लिंग स्टेशन 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावर एवं एम/सी टावर पर)।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारिषण लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
नापासर (नापासरिया), केलन, राजासर भाटियान, मोतीगढ़, अम्बारन	छत्तरगढ़	बीकानेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है:

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारिषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यक्षीन है।
- vi. मेसर्स सनश्योर सोलरपार्क फोर्टीन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/27/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 13th April, 2026

S.O. 1913(E).—Whereas M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited, the applicant with its registered office at 1101A-1107, 11th Floor, BPTP Park Centra, Jal Vayu Vihar, Sector-30, Gurugram, Haryana, India – 122018, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/95/2025-PG dated 17th October 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.

M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Indian Express (in English) dated 28th October 2025 Dainik Yugpaksha (in Hindi) dated 28th October 2025 and in Weekly Gazette of India dated 15th November 2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited has submitted an affidavit dated 18th February 2026 declaring that three (03) nos. of observations / representations were received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited and that no further representations were received.

M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited has submitted an Undertaking dated 14.01.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon'ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained

by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:-

- Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited Solar Power Project - Bikaner-IV (ISTS) Pooling station 220kV S/c line on D/c & M/c towers.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of State of **Rajasthan**:

Villages	Tehsil	District	State
Napasar (Napasariya), Kelan, Rajasar Bhatiyar, Motigarh, Ambaran	Chhatargarh	Bikaner	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited for above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Sunsure Solarpark Fourteen Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/27/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)